



## Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

### Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर R.T.No 170 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
220	समसुदीन अंसारी वो मनुदीन अंसारी वो नारनौदीन अंसारी , पिता-वीरु मियाँ, जाति- मोमीन	431		0 ऐ	0 डि	0 हे	1		1 / 219
		431		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		431		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		444		0 ऐ	10 डि	0 हे			
		444		0 ऐ	10 डि	0 हे			
		444		0 ऐ	10 डि	0 हे			
		474		0 ऐ	11 डि	0 हे			
		474		0 ऐ	11 डि	0 हे			
		474		0 ऐ	11 डि	0 हे			
		515		0 ऐ	2.59 डि	0 हे			
		515		0 ऐ	2.59 डि	0 हे			
		515		0 ऐ	2.59 डि	0 हे			
		516		0 ऐ	4.85 डि	0 हे			
		516		0 ऐ	4.85 डि	0 हे			
		516		0 ऐ	4.85 डि	0 हे			
		517		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		517		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		517		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		519		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		519		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		519		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		521		0 ऐ	8 डि	0 हे			

220	SURENDRA KUMAR BHAGAT , पिता- LATE JAY NANDAN BHAGAT, जाति- ----	521		0 ऐ	2.87 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1761/2023 - 2024	10 / 93
220	SMT SUMAN KUMARI , पति-PAPPU KUMAR, जाति- ----	516		0 ऐ	5.74 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 627/2023 - 2024	11 / 1
220	SRI GOLDEN KUMAR , पिता- SATYENDRA SINGH, जाति- ---- एवं SMT NIRMA KUMARI SINGH , पति-GOLDEN KUMAR, जाति- ----	521		0 ऐ	4.13 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2450/2023 - 2024	11 / 9
220	SUTAPA KAR , पिता-UTTAM KUMAR KAR, जाति- ---- एवं PINTU NANDAN , पिता-SHANKAR NANDAN, जाति- ----	521		0 ऐ	4.13 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 3667/2023 - 2024	11 / 14
220	SMT MAMATA PAUL , पति- DHANESHWAR KUMHAR, जाति- .	516		0 ऐ	2.58 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 3669/2023 - 2024	11 / 15
220	SMT RICHA PRIYADARSHANI , पति- SUBODH KUMAR SINHA, जाति- ----	516		0 ऐ	2.58 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 3671/2023 - 2024	11 / 16

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

8/22/2023

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।